राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर।

पीठासीन प्राधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ रा.प्र.से.

अपील सं. 09/2019

उनवान

1. छगनाराम पिसरान श्री कानाराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
2. श्रीमती बालीदेवी पिसरान श्री कानाराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
3. श्रीमती रतनीदेवी पिसरान श्री कानाराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
4. श्रीमती भगवतीदेवी पिसरान श्री कानाराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
5. श्रीमती मोहनीदेवी बेवा श्री भवरराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
6. पुनमराम पुत्र श्री भवरराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
7. दुर्गा पुत्री श्री भवरराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
8. मधु पुत्री श्री भवरराम श्री भवरराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर

––अपीलान्ट

बनाम

1. फातमा पत्नी फते खां जाति मुसलमान निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार

––रेस्पोडेन्टान

उक्त अपील अंतर्गत धारा 23(1) आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.08.2007 सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत।

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री रणजीतसिंह निर्वाण
अप्रार्थी सं0 01 की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री राजेन्द्रसिंह शिमला
अप्रार्थी सं0 02 की ओर से– पैराकराज

निर्णय दिनांक :– 08. 10 2025

निर्णय

1. यह उक्त अपील 09/2019 धारा 23(1) आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के तहत न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम मु0 कोलायत द्वारा पारित आदेश दिनांक क्रमशः 13.08.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण के दादा व पिता व ससुर श्री कानाराम पुत्र आशाराम जाति नायक के नाम से वाके रोही ग्राम कावनी के खेत खसरा नं0 134 में 168.15 बीघा बारानी भूमि सम्वत् 2012 पूर्व से चली आ रही है जिस पर अपीलान्टगण आज दिनांक तक अपने खेत की बाड करके मौके पर ढाणी बनाकर काबिज होकर लगातार काश्त करते चले आ रहे है। जो कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना व लिपीकिय भूलवंश सम्वत् 2029 से 32 में आराजी राज दर्ज कर दी गई जिसके विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.

ए. एवं 136 एल.आर.एक्ट के तहत न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें दिनांक 02.04.2012 से अन्य आदेश तक रिकार्ड कि स्थिति यथावत रखने का आदेश जारी है। अपीलान्ट की पुश्तैनी भूमि में से अर्थात् ग्राम कावनी के खेत खसरा नं0 134 में 168.15 बीघा भूमि में से 50 बीघा भूमि का रेस्पो0 संख्या 01 को बतौर आरजी काश्त के वर्ष 1978 को आवंटन फरमाया गया। जिसका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके का ज्ञान किये बिना आदेश अधिनस्थ न्यायालय पारित कर भारी विधिक भूल की है अतः आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व न्याय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन दिनांक से आज तक रेस्पो0 सं0 1 का आराजी जैर बहस कभी कोई किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका का ध्यान किये बिना आराजी जैर बहस को टी.सी. से पुख्ता आवंटन कर भारी विधिक भूल की है। रेस्पो0 सं0 1 को आवंटित भूमि अपीलान्टगण कि पुश्तैनी भूमि है तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना लिपीकिय भूल वंश सम्वत् 2029–32 में आराजी राज दर्ज कर दी गई थी जिसके विरूद्ध न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मे वाद जैरकार है तथा अराजी जैर बहस मुलतय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कि भूमि है जिसमें किसी भी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आवंटन नहीं किया जा सकता फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानून न्याय व नैसगिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत जाकर आदेश अधि0 न्यायालय पारित कर भारी विधिक भूल है।

3. वकील अपीलांट ने अपील मीमों के बिन्दुओं को ही अपनी बहस बताया।

4. इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट वकील ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कावनी 1959 में उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने पर नियमानुसार वादग्रस्त कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15(ए) के अन्तर्गत आराजीराज दर्ज कर दिया गया था। जिससे वादग्रस्त कृषि भूमि शुद्ध रकबा राज हो गयी थी। जिसके विरूद्ध यदि अपीलान्ट का कोई हक था तो उक्त आदेश को चैलेन्ज नहीं करने के कारण वेवं हो चुका है जिसकी घोषणा इस अनवान सदर के वाद के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकता। उक्त कृषि भूमि आराजीराज दर्ज होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट फातमां को दिनांक 17.08.1982 को टी.सी. आवंटन के रूप में आवंटित की गयी थी तदुपरान्त तहसीलदार द्वारा मौके पर कब्जा दे दिया गया था। जिसको आज दिनांक तक बेदखल नहीं किया गया है। कब्जा काश्त के आधार पर आवंटी का टी.सी. आवंटन के आधार पुख्ता आवंटन कर दिया गया था। समस्त किश्त एक मुश्त दिनांक 05.08.2007 अदा करने पर दिनांक 25.11.2010 को खातेदारी हक हकूक प्रदान करते हुए प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी सनद जारी कर दी गयी। उक्त खातेदारी के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी थी। प्रार्थीनी का आवंटन का आदेश खातेदारी आदेश में मर्ज हो चुका है। इसलिए उक्त आदेश के विरूद्ध अपील करने का अधिकार अपीलान्टगण को नहीं है। इस आधार पर भी अनवान सदर की अपील चलने योग्य नहीं है काबिज निरन्तर के है। वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलान्ट की हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त की नहीं थी न ही कोई ऐसा आदेश अपीलान्ट अथवा उनके पूर्वज के पक्ष में था। जिससे अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ हो। सम्वत 2014 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के अपीलान्ट के पूर्वज कानाराम का अंकन राजस्व आमला से मिलकर अंकित करवा लिया गया था। मौके पर कब्जा काश्त नहीं था। इससे अपीलान्ट को किसी प्रकार के हक हकूक उत्पन्न नहीं होते। ग्राम कावनी राज्यादेश से सन् 1959 में उपनिवेशन क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। जिसकी अनुपालना में नियमानुसार समस्त काश्तकारान की भूमि को राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज किया जाकर राजकीय भूमि घोषित की गयी थी। जिसके विरूद्ध

अपीलान्ट अथवा उनके पूर्वक द्वारा कोई चाराजोई नहीं करने के कारण उनके अधिकार कोई थे भी तो वह वेव हो चुके थे। अब किसी भी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी अपीलान्ट नहीं है। उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हाने पर कृषि भूमि आराजीराज होने पर कानाराम के नाम से ख0 नं0 134/4 में 50 बीघा टी.सी. पर आवंटन हुई थी, जिसे सम्वत् 2058 के बाद नवीनीकरण करवाया और कब्जा छोड़ दिया। उक्त भूमि बाद में फातमा के नाम से टी.सी. आवंटन की जाकर बाद में पुख्ता आवंटित कर दी गयी जो वर्तमान में खातेदारी की है। जिसके वर्तमान खसरा नं0 134/4 ही है। ग्राम कावनी उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने पर दिनांक 17.08.1982 को खसरा संख्या 134/4 तादादी 50 बीघा फातमा पत्नी फते खां मुसलमान निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर को आरजी काश्तकार के रूप में आवंटन की गयी थी। जिसका नियमित रूप से नवीनीकरण होता रहा एवं दिनांक 05.08.2007 को पुख्ता कीमतन आवंटन करते हुए फातमा के हक में आवंटन आदेश जारी किया गया। फातमा द्वारा दिनांक 05.08.2007 को रूपये 13500/– रूपये खजाना राज में जी.ए. 55 द्वारा जमा करवाये गये थे। तदुपरान्त आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के द्वारा दिनांक 25.11.2010 को श्रीमती फातमा के हक में खातेदारी सनद जारी कर दी गयी थी। जिसकी अनुपालना में राजस्व रिकार्ड बहैसियत खातेदार श्रीमती फातमा के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में हो गया था। श्रीमती फातमा ने अपने हक हकूक की खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही कावनी खसरा सं0 134/4 तादादी 50 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध बैयनाम दिनांक 26.09.2011 को शरीफन पत्नी इसकाल खां एवं श्रीमती भूरी बानो पत्नी महबूब खां जाति मुसलमान निवासी गांव कावनी तहसील व जिला बीकानेर के हक में विक्रय कर दी थी। मौके पर भौतिक व वास्तविक कब्जा सुपुर्द कर दिया था। जो वर्तमान में भी शरीफन एवं भूरी बानो काबिज काश्त है।दावाधीन कृषि भूमि में से अधिकतम भूमि उपनिवेशन विभाग द्वारा भिन्न–भिन्न लोगों को आवंटित की गयी थी जिनमें से अधिकांश को खातेदारी हक हकूक प्रदान किए जा चुके है। इन तथ्यों को छिपाकर अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है। अर्थात् न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट क्लीन हैण्ड से नहीं आये है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र अपीलान्ट पक्षकारान के कुसंयोजन के आधार पर काबिज निरस्त के है। अपीलान्ट के पूर्वज का नाम राजस्व रिकार्ड में मिलीभगत के द्वारा आ गया था जिसको विधि सम्मत तरीके से हटाया गया, के विरूद्ध अपीलान्ट अथवा उनके पूर्वजों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण अपीलान्ट के वादग्रस्त कृषि भूमि में यदि कोई अधिकार थे भी तो वे वेव हो चुके है। इस वाद पत्र के माध्यम से उनकी घोषणा नहीं करवायी जा सकती। ग्राम कावनी की कृषि भूमि अराजी राज घोषित होने पर श्रीमती फातमा को आराजी काश्तकार के रूप में आवंटित हुई थी। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट अथवा उनके पूर्वजों के द्वारा कोई कार्यवाही अन्दर मियाद नहीं की गयी। जिससे उक्त आदेश अंतिम आदेश हो चुका है। ग्राम कावनी की कृषि भूमि आराजी काश्तकार के रूप में आवंटित हुई। जिसके पुख्ता आवंटन का आदेश दिनांक 11.09.2007 को आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के द्वारा जारी किया गया था। जिसकी आवंटी के पक्ष में खातेदारी सनद दिनांक 25.11.2010 को श्रीमती फातमा के हक में जारी की जा चुकी थी। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट अथवा उनके पूर्वजों के द्वारा कोई कार्यवाही अन्दर मियाद नहीं की गयी। जिससे उक्त आदेश अंतिम आदेश हो चुका है। श्रीमती फातमा के द्वारा वादगत कृषि भूमि को पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 26.09.2011 के द्वारा शरीफन पत्नी इसकाल खां एवं श्रीमती भूरी बानो पत्नी महबूब खां जाति मुसलमान निवासीगण गांव कावनी व जिला बीकानेर के हक में विक्रय की जा चुकी है। जिनके नाम का अंकन जरिये नामान्तरणकरण राजस्व रिकार्ड में किया जा चुका है। क्रेता को

पक्षकार नहीं बनाया गया है इस आधार पर भी अपील चलने योग्य नहीं है। अपीलान्ट ने अपने दावे में आवंटी की जानकारी पटवारी हल्का से होना तथा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि दिनांक 01.08.2019 को अप्रार्थीगण व कुछ अन्य व्यक्तियों का मौके पर आने से जानकारी होना अंकित किया है। कथनों में भिन्नता होने के कारण मियाद की छूट नहीं दी जा सकती। आवंटन अधिकारी के समक्ष अपीलान्टगण पक्षकार नहीं थे। इसलिए अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्टगण केवल न्यायालय की ईजाजत से ही अपील प्रस्तुत कर सकते है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने से हेतु न्यायालय से ईजाजत प्राप्त करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया इस आधार पर भी आदेश जैर अपील काबिज निरस्त के है। उपरोक्त बहस के आधार पर अपील अपीलान्ट मय हर्जा खर्चा के खारिज की जावे।

5. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि अपील पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत् 2014 में खसरा 134 तादादी 168.15 बीघा भूमि काना वल्द आशा कौम थोरी साकिन देह काश्तकार के नाम दर्ज होना है। जमाबन्दी की छायाप्रति पत्रावली के सलंग्न है। आराजीराज भूमि ग्राम कावनी के खेत खसरा नं0 134/4 में 50 बीघा भूमि का रेस्पो0 संख्या 01 को बतौर टी.सी. आवंटन फरमाया गया। उक्त टी.सी. आवंटन को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी को टी.सी. आवंटन से पुख्ता आवंटन कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 18.12.2024 को प्राथमिक आपति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका जवाब वकील अपीलांट द्वारा पेश नहीं किया गया मौखिक रूप से अपील मीमों को ही अपनी बहस बताया। जिस कारण प्राथमिक आपत्ति का निस्तारण भी अंतिम निर्णय में किया जा रहा है। प्रकरण में जहाँ तक मियाद का प्रश्न है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि उक्त अपील में अपीलाधीन आदेश क्रमशः 13.08.2007 जिसके विरूद्ध अपीलान्ट अथवा उनके पूर्वजों के द्वारा कोई कार्यवाही अन्दर मियाद नहीं की गयी। अपीलान्ट ने अपने दावे में आवंटी की जानकारी पटवारी हल्का से होना तथा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 01.08.2019 को अप्रार्थीगण व कुछ अन्य व्यक्तियों का मौके पर आने से जानकारी होना अंकित किया हैं कथनों में भिन्नता होने के कारण मियाद की छूट नहीं दी जा सकती। उक्त अपील में अपीलांट के धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर तथ्य सामने आया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 01.08.2019 को अप्रार्थीगण व कुछ अन्य व्यक्तियों का मौके पर आने से हुई तथा अपीलांट ने अपील मीमों के बिन्दु संख्या 2 में लिखा है कि उक्त विवादित भूमि का एक वाद अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर के समक्ष कर रखा है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2012 से अन्य आदेश तक रिकार्ड कि स्थिति यथावत रखने का आदेश जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के दौरान उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को वर्ष 2012 में होने के बावजूद उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 14.10.2019 को मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के बावजूद देरी के कारण स्पष्ट रूप से सही प्रकट नहीं किए जिस कारण उक्त अपील मियाद बाहर शुमार की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त अपील मियाद बाहर होने के कारण अपील अपीलांट अस्वीकार कर मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जाती है। यह निर्णय आज दिनांक 28/10/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवम् राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन
एवं राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर